

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

संख्या :- 10/2024

सलीम बनाम रघुवीर

| दिनांक अज्ञात<br>या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से  | विशेष<br>विवरण |
|-------------------------------|---|----------------|
| 18.10.2024                    | <p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता हाजिर। विभाजन प्रस्ताव पर वादी को सुना गया। वास्ते आदेश दिनांक 22.10.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">31<br/>उपखण्ड अधिकारी<br/>चाकसू(जयपुर)</p>  |                |
| 22.10.2024                    | <p>पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक प्राथमिक डिक्री बनकर पेश हुए हैं। विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति वादी/प्रतिवादी की ओर से पेश नहीं हुई है। मौका कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर ए.जे.डी को पक्षकार संयोजित किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।</p> <p>अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्तावों को बाद अनुमोदन डिक्री की पालना हेतु भेजा जावे। अनुमोदित विभाजन प्रस्ताव इस आदेश एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।</p> <p>विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर इस आदेश का भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल चुनार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">31<br/>उपखण्ड अधिकारी<br/>चाकसू(जयपुर)</p> |                |